भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2453

जिसका उत्तर दिनांक 15.03.2023 को दिया जाना है

परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी में वृद्धि

2453. श्रीमती पूनमबेन माडम :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्वच्छ ऊर्जा स्रोत के रूप में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, आगामी तीन वर्षों के लिए योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार मौजूदा संयंत्रों की क्षमता में वृद्धि करने की योजना बना रही है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या देश में नए संयंत्र शुरु करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह) :

(क) जी, हां। निर्माणाधीन और मंजूरी प्राप्त परियोजनाओं के क्रमिक रूप से पूरा होने पर, वर्तमान संस्थापित नाभिकीय विद्युत क्षमता 6780 मेगावाट को वर्ष 2031 तक 22480 मेगावाट तक बढ़ाया जाना निर्धारित है।

(ख) अगले तीन वर्षों में, केएपीपी 3 व 4 (2 X 700 मेगावाट), आरएपीपी 7 व 8 (2 X 700 मेगावाट), केकेएनपीपी 3 व 4 (2 X 1000 मेगावाट) और पीएफबीआर (500 मेगावाट) के पूरा होने पर 5300 मेगावाट क्षमता संवर्धन की योजना है।

(ग) अभिकल्प में सुधार कर, बेहतर प्रचालन और अनुरक्षण पद्धतियों को अपनाकर, उन्नयन का कार्यान्वयन इत्यादि करके मौजूदा नाभिकीय विद्युत संयंत्रों के संरक्षा और प्रचालन निष्पादन को बढ़ाने का प्रयास, भारतीय नाभिकीय संयंत्रों में एक सतत गतिविधि है।

(घ) निर्माणाधीन और मंजूरी प्राप्त परियोजनाओं के अलावा, सरकार ने भविष्य में नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए नए स्थलों के लिए 'सैद्धांतिक अनुमोदन' प्रदान कर दिया है।

* * * * *